कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com
पत्रांक 546 /18सी. दिनांक, रानीखेत, 08-3-2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- विनायक-रिखाड़-कोटियाग मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं. 8443/2014)

संदर्भ :- आपका पत्रांक र3656/12-1 दिनांक 14.1.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आन लाईन द्वारा आपत्तियों में लौटाया गया था। जिसकी आख्या विन्दुवार निम्नवत है:-

1	Annexure of FRA Certificate regarding village level committee proceedings the signatures of other members of village level committee is not provided	Signature of other members of village level committee is attached along with complete case in total 7 Nos. of enclosures
2	Point no.-3 of EDS dated 10.6.2015 is not properly answered and justified.	Additional documents loaded in part-1 with title names
3	Point no.-4 of EDS dated 10.6.2015 is not properly answered and justified.	The complete list of trees in 9m. width is attached. The No. of trees to be transplanted /felled is attached in comparative statement showing No of trees affected in 7m. & 9m.width of the road.
4	Point no.- 6 of EDS dated 10.6.2015 is not properly answered and justified.	Revised CA scheme is attached.

(संजय प्रसाद सिन्हा)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Kailash-A.Letter

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector:Almora

No--- **Dated-----19/12/14**

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.70** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand)** for **Construction of Vinayak- Rikhad-Kotiyag Motar Road(7.00km)** in **Almora** district falls within jurisdiction of **Rikhad** village (s) in **Bhikyasen** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.70** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

19.12.14

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 19/12/14... at time .3:00 P.M..at Almora in which application claiming rights in Rikhad area measuring 2.70 hectares, for the **Construction of Vinayak-Rikhad-Kotiyag Motar Road(7.00km),** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Dated: 19/12/14

19.12.14

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– विनायक-रिखाड़-कोटियागा मोटर मार्ग

कार्यालय उपजिलाधिकारी, भिकियासैंण ।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति भिकियासैंण

उपखण्ड भिकियासैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत (आरक्षित वन भूमि शून्य है0, सिविल सोयम भूमि 1.980 है0 तथा वन पंचायत भूमि 0.720 है0 अर्थात कुल वन भूमि 2.700 है0) निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी / वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील भिकियासैंण की दिनांक 9/12/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक मे श्री एन.एस. नबियाल उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयेजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री एन. एस. नबियाल उपजिलाधिकारी अध्यक्ष।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह मीना उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3. श्री आर.एस. रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/ सचिव।
4. श्रीमती निर्मला शर्मा बी0डी0सी0 क्षेत्र रिखाड़ सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदयों का बैठक में स्वागत करते हुवे उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत विनायक रिखाड़ कोटियागा मोटर मार्ग का (7.00 किमी0) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड भिकियासैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत विनायक रिखाड़ कोटियागा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा।

Aradhana Van Adhikar Act 2006

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– विनायक- रिखाड़- कोटियाग मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– रिखाड़

तहसील :– भिकियासैन जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैन में विनायक - रिखाड़ कोटियाग मोटर मार्ग के निर्माण (7.00 किमी0) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि शून्य है0, सिविल सोयम भूमि 1.980 है0 तथा वन पंचायत भूमि 0.720 है0 अर्थात कुल वन भूमि 2.700 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिखाड़ द्वारा दिनांक 5-12-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रिखाड़ के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एंव सही है।

खष्टी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत–रिखाड़
वि0 ख0 – भिकियासैण

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम (रिखाड़)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- रिखाड़

क्रम सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रत्नाली दत्त/हरीदत्त	[illegible]
2	चन्द्रा दत्त/राधापति	चन्द्रदत्त
3	कमला देवी पत्नी कैलाशचन्द	कमलादेवी
4	रमेशचन्द लालदत्त	रमेशचन्द
5	कु० चम्पा	[illegible]
6	नवीन चन्द्र/विशनदत्त	
7	जीवनराम s/o प्रेमराम	खष्टीदेवी
8	खष्टी देवी	
9	राधा देवी जीवुली देवी	
10	जयदत्त	नन्दाबल्लभ
11	विताम्बर/राधाबल्लभ	कमलाकान्त विताम्बर
12	जयदत्त/पिरदेव	[illegible]
13	विक्रमसिंह/रत्नाबल्लभ	विक्रमसिंह
14	कमलाकान्त s/o पिताम्बर	कमलाकान्त

प्रधान
ग्राम पंचायत–रिखाड़
वि० ख० – पितिरियासैण

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– विनायक - रिखाड़- कोटियाग मोटर मार्ग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत विनायक रिखाड़ कोटियाग मोटर मार्ग का निर्माण 7.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, रानीखेत को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिनियम समिति भिकियासैन तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/ वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
भिकियासैन
जिला-अल्मोड़ा

19.12.14
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रपत्र—23.4

परियोजना का नाम :— विनायक - रिखाड़ - कोटियागा मोटर मार्ग

.... ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास खण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत विनायक रिखाड़ कोटियागा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय के पत्र 11—9/98 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केविल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेशों के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
/ नोडल अधिकारी अल्मोड़ा।
(stamp: जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा)

19.12.14
जिलाधिकारी
(stamp: जिलाधिकारी अल्मोड़ा।)

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा में विनायक रिखाड कोटियाग मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.700 हे0 वन भूमि का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क्र0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	100 से अधिक	
1	रिखाड सिविल	चीड	14	20	1								35
2	रिखाड नाप	चीड	2	16	8	1		1					28
		आम	1		2		2						5
		तुन हरा				1							1
		जामुन	2		1								3
		योग	19	36	12	2	2	1					72

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। पेडो की गणना 7 मी0 चौडाई में कि गयी हैं।

अमीन
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रपत्र–20.1

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में विनायक–रिखाड़–कोटियाग मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.700 हे. वन भूमि का निरीक्षण किया गया।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं0	क्षेत्र का नाम				व्यास वर्ग				योग
		20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—
2	सिविल सोयम	1	—	—	—	—	—	—	1
3	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	1	—	—	—	—	—	—	1
4	नाप भूमि	11	2	2	1	—	—	—	16
	कुल योग	12	2	2	1	—	—	—	17

वन क्षेत्राधिकारी
सहायक वन अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी

Kailash-G.G.I.C. Bhikiyasen Parposal (new)

कार्य का नाम :— विनायक—रिखाड़—कोटियाग मोटर मार्ग का नव निर्माण

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

9मी0 एवं 7मी0 की चौड़ाई में प्रभावित होने वाले वृक्षों का तुलनात्मक विवरण (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर)

मार्ग की चौड़ाई	व्यास वर्ग									योग
	0—10	10—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60—70	70—80	80—90	
7मी0 की चौड़ाई में	19	36	12	2	2	1	-	-	-	72
9मी0 की चौड़ाई में	26	52	12	2	2	1	-	-	-	95
अधिकता	**7**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**23**

<u>नोट</u> :— 1. उपरोक्त विवरण के अनुसार 9मी0 की चौडाई में 0—10 एवं 10—20 व्यास वर्ग के कुल 23 वृक्षों की संख्या में बढोत्तरी हुई। जिसकी प्रत्यारोपण की योजना संलग्न है।

2. 20 से अधिक व्यास वर्ग से 7मी0 एवं 9मी0 की चौड़ाई में समान 17 वृक्ष प्रभावित हो रही है। जिनका पातन किया जाना है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

कार्य का नाम :– विनायक रिखाड कोटियाग मोटर मार्ग का नव निर्माण

विकास कार्यों हेतु निर्माण के दौरान वन भूमि में विद्यमान

0–10 व्यास के काफल वृक्षों का अन्यत्र रोपण हेतु आकलन

क0सं0	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई	चौडाई	ऊंचाई	मात्रा	आयटम कमांक	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पौध स्थानान्तरित कर रोपित करने हेतु गढा खोदना (0–10 व्यास)	26	0.90	0.90	0.90	18.95	11-1-1-3 road pwd Item	230.10	4361.32
2	गढढे में रोपण स पूर्व कीटनाशक / उर्वरक / जैविक खाद डालना (खाद, उर्वरक एवं कीटनाशक के मूल्य सहित)	26				26.00		50.00	1300.00
3	पूर्व स्थित वृक्ष को निकालने हेतु चारो ओर सावधानी से खोदना (0–10 व्यास)	26	0.90	0.90	0.90	18.95	11-1-1-3 road pwd Item	230.10	4361.32
4	उक्त उखाडे गये वृक्षों की मानवीय / मशीन से परिस्थिति अनुसार ढुलान कर रोपित किये जाने वाले स्थान पर सुरक्षित लाना (औसत 500 मी0) वृक्ष का Mother soil के साथ अनुमानित वजन 4.00 कुन्तल (0–10 व्यास)					26.00	LS	100.00	2600.00
5	उक्त उखाडे गये वृक्षों की सिचाई हेतु पानी की व्यवस्थता करना मय थावला बन्दी आदि (0–10 व्यास)					26.00	LS	30.00	780.00
6	रोपित किये गये वृक्षों की सिचाई हेतु पानी की व्यवस्था करना 02 अकुशल श्रमिक प्रति हैक्टेयर / प्रति दिन (लगातार 15 दिन तक पानी ढुलान कर सिचाई करना)	2 Labours per day	15.00			30.00	Labour	229.00	6870.00
7	पानी के ढुलान हेतु परिस्थिति अनुसार व्यवस्था (टेंक / टेंकर आदि किराया)	15 days 2 hours per day				30.00	LS	200.00	6000.00
								योग	**26272.63**

26

प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या	80
प्रति हेक्टेयर रोपण की कुल अनुमानित लागत रू0 में	**80838.86**
प्रति पौध अनुमानित व्यय रू0 में	**1010.49**

नोटः– 1. 0–10 व्यास के पौधों के प्रत्यारोण एवं उन्हें 15 दिन तक लागातार पानी देने से वृक्ष नये सीन पर जड पकड लेंगे जिस कारण रोपण क्षे की परिधि में सुरक्षा दीवाल एवं चौकीदार की आवश्यकता नहीं होगी।

2. प्रत्यारोपित पौधों की अच्छी बढत एवं जीवितता प्रतिशत के मध्येनजर उक्त कार्य वर्षाकाल में प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

प्रधान / सरपंच की सहमति का प्रस्ताव आवश्यक होग।

वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

व.र.
व.प.प्र.

कार्य का नाम :— विनायक रिखाड कोटियाग मोटर मार्ग का नव निर्माण

विकास कार्यो हेतु निर्माण के दौरान वन भूमि में विद्यमान

10—20 व्यास के काफल वृक्षों का अन्यत्र रोपण हेतु आकलन

क0सं0	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई	चौडाई	ऊचाई	मात्रा	आयटम कमांक	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पौध स्थानान्तरित कर रोपित करने हेतु गढा खोदना (10-20व्यास)	52	1.50	1.50	1.50	175.50	11-1-1-3 road pwd Item	230.10	40382.55
2	गढढे में रोपण स पूर्व कीटनाशक / उर्वरक / जैविक खाद डालना (खाद, उर्वरक एवं कीटनाशक के मूल्य सहित)	52				52.00		50.00	2600.00
3	पूर्व स्थित वृक्ष को निकालने हेतु चारो ओर सावधानी से खोदना (10-20 व्यास)	52	1.50	1.50	1.50	175.50	11-1-1-3 road pwd Item	230.10	40382.55
4	उक्त उखाडे गये वृक्षों की मानवीय / मशीन से परिस्थिति अनुसार ढुलान कर रोपित किये जाने वाले स्थान पर सुरक्षित लाना (औसत 500 मी0) वृक्ष का Mother soil के साथ अनुमानित वजन 4.00 कुन्तल (10-20 व्यास)					52.00	LS	200.00	10400.00
5	उक्त उखाडे गये वृक्षों की सिचाई हेतु पानी की व्यवस्थता करना मय थावला बन्दी आदि (10-20व्यास)					52.00	LS	60.00	3120.00
6	रोपित किये गये वृक्षों की सिचाई हेतु पानी की व्यवस्था करना 02 अकुशल श्रमिक प्रति हैक्टेयर / प्रति दिन (लगातार 15 दिन तक पानी ढुलान कर सिचाई करना)	2 Labours per day	15.00			30.00	Labour	229.00	6870.00
7	पानी के ढुलान हेतु परिस्थिति अनुसार व्यवस्था (टेंक / टेंकर आदि किराया)	15 days 2 hours per day				45.00	LS	200.00	9000.00
								योग	112755.10

प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या	80
प्रति हेक्टेयर रोपण की कुल अनुमानित लागत रू0 में	**173469.38**
प्रति पौध अनुमानित व्यय रू0 में	**2168.37**

नोटः— 1.10-20व्यास के पौधों के प्रत्यारोण एवं उन्हें 15 दिन तक लागातार पानी देने से वृक्ष नये सीन पर जड पकड लेंगे जिस कारण रोपण क्षे की परिधि में सुरक्षा दीवाल एवं चौकीदार की आवश्यकता नहीं होगी।

2. प्रत्यारोपित पौधों की अच्छी बढत एवं जीवितता प्रतिशत के मध्येनजर उक्त कार्य वर्षाकाल में प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

प्रधान / सरपंच की सहमति का प्रस्ताव आवश्यक होग।

वन क्षेत्राधिकारी
बारादाट वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में विनायक रिखाड कोटियाग मोटर मार्ग का नव निर्माण

वृक्षारोपण स्थल का नाम सिविल क्षेत्रफल 2.730 हे0 दुगने क्षेत्रफल का

क्र. स.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू.)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमाकंन	5.460	95.00	518.70
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	5.460	575.00	3139.50
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 187 X 0.45 X	459.46	380.00	174594.42
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान			
	(1) पत्थरों के चैक डैम (2) वाटर हारचेस्टिंग टैक	5.460	9700.00	52962.00
5	गड्ढा खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45)	10920	8.83	96423.60
6	निरीक्षण बटिया बनना	5.460	584.00	3188.64
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	10920	7.09	77422.80
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों का व्यय	5.460	482.00	2631.72
9	अन्य कार्य		L.S.	3000.00
	योग – प्रथम चरण			**413881.38**
	द्वितीय चरण			
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	10920.00	2.40	26208.00
2	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	10920.00	3.40	37128.00
3	पौध ढुलान कार्य	10920.00	7.70	84084.00
4	पौधरोपण व थालीबन्दी	10920.00	2.06	22495.20
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	10920.00	2.48	27081.60
6	खाद व दवा पर व्यय	10920.00	28.50000	3112.20
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	5.460	7000.00	38220.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनषील पदार्थों का कटाना प्रति है0	5.460	421.75	2302.76
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मी. की पट्टी साफ करना	5.460	271.12	1480.32
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.460		
	अ– प्रषिक्षण	5.460	482.00	2631.72
	ब–प्रोत्साहन	5.460	240.00	1310.40
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेषन आदि कार्य	5.460	843.00	4602.78
	योग :– द्वितीय चरण			**250656.97**
10	अन्य कार्य			
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण			**664538.35**
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12माह	5.460	10000.00	54600.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनषील	5.460	422.00	2304.12
	2.2 सुरक्षा दीवाल के वाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	5.460	271.12	1480.32
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्सान देना			
	अ–प्रषिक्षण	5.460	473.00	2582.58
	ब–प्रोत्साहन	5.460	241.00	1315.86

[illegible]	[illegible]	5.460	L.S.	5000.00
	योग – तृतीय चरण			**67282.88**
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.460	10000.00	54600.00
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	5.460	473.00	2582.58
	(2) अन्य कार्य	5.460	300.00	1638.00
	योग – चतुर्थ चरण			**58820.58**
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.460	10000.00	54600.00
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	5.460	473.00	2582.58
	(2) अन्य कार्य	5.460	300.00	1638.00
	योग – पंचम चरण			**58820.58**
	छठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.460	10000.00	54600.00
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	5.460	473.00	2582.58
	(2) अन्य कार्य	5.460	300.00	1638.00
	योग – छठम चरण			**58820.58**
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.460	10000.00	54600.00
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	5.460	473.00	2582.58
	(2) अन्य कार्य	5.460	300.00	1638.00
	योग – सप्तम चरण			**58820.58**
	अष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.460	10000.00	54600.00
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	5.460	473.00	2582.58
	(2) अन्य कार्य	5.460	300.00	1638.00
	योग – अष्ठम चरण			**58820.58**
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.460	10000.00	54600.00
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	5.460	473.00	2582.58
	(2) अन्य कार्य	5.460	300.00	1638.00
	योग – नवम चरण			**58820.58**
	दसम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.460	10000.00	54600.00
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	5.460	473.00	2582.58
	(2) अन्य कार्य	5.460	300.00	1638.00
	योग – दसम चरण			**58820.58**
	कुल व्यय			**1143565.29**
	अथवा			**1143500.00**

वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट